...ालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...पत्र संख्या :–32 / 2020 दायर दिनांक: 13.03.2020

...S NO:- 2019/00071

...सीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. बाबूलाल आ0 मोतीलाल जाति महाजन निवासी बोरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. छोटूलाल आ0 मोतीलाल जाति महाजन निवासी बोरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. महावीर आ0 मोतीलाल जाति महाजन निवासी बोरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. रामवतार आ0 मोतीलाल जाति महाजन निवासी बोरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. रामप्रसाद आ0 मोतीलाल जाति महाजन निवासी बोरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. जम्बू उर्फ सावरा आ0 मोतीलाल जाति महाजन निवासी बोरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. सन्तरा पुत्री मोतीलाल पत्नी रमेश जाति महाजन निवासी बोरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. प्रेमबाई पुत्री मोतीलाल पत्नी रमेश जाति महाजन निवासी बोरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. शोजीलाल आ0 हजारी जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. राजू आ0 गंगा जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 27.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बोरदा पटवार मण्डल नाहरगंज तहसील नैनवां में भूमि खाता संख्या नया 81 व 82 पुराना के खसरा संख्या 263/01–04, 352/00–06, 391/01–04, 292/02–14, 394/02–02, 493/31–05, 515/19–17, 533/15–10 कुल किता 8 कुल रकबा 74 बीघा 02 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त की आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि भूमि है । यह कि प्रार्थी की भूमि में जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम बोरदा से बोरदा के माल मे जाने वाले रास्ते से फटकर खसरा संख्या 534 व 514 के मध्य की मेड पर होता हुआ खसरा संख्या 533 में पहुंचता है। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सदैव से करते चले आ रहे है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने के कारण रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ 30 फिट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट "अ" ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार खसरा नम्बर 533 में जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 534 रकबा 06–.07 बीघा किस्म बारानी तृतीय में से 52 गठ्ठा लम्बा तथा 1 गठ्ठा चौडा कुल 0.03 बीघा शोजीलाल पि0 हजारी मीणा व खसरा संख्या 514 रकबा 21–00 बीघा में से 52 गठ्ठा लम्बा तथा 1 गठ्ठा चौडा कुल 0.03 बीघा हरपाल, शोलाल पि0

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:19:08 IST
Reason: SelfAttested

मीणा की मेर से होता हुआ खसरा संख्या 537 गै0मु0 खाल रकबा 01–03 बीघा पर मिलता है। गठ्ठा चौडा व 52 गठ्ठा लम्बा है। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का वलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट बालापुरा में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम बोरदा पटवार मण्डल नाहरगंज तहसील नैनवां में भूमि खसरा नम्बर 533 में जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 534 रकबा 06–.07 बीघा किस्म बारानी तृतीय में से 52 गठ्ठा लम्बा तथा 1 गठ्ठा चौडा कुल 0.03 बीघा शोजीलाल पि0 हजारी मीणा व खसरा संख्या 514 रकबा 21–00 बीघा में से 52 गठ्ठा लम्बा तथा 1 गठ्ठा चौडा कुल 0.03 बीघा हरपाल, शोलाल पि0 गोपी कौम मीणा की मेर से होता हुआ खसरा संख्या 537 गै0मु0 खाल रकबा 01–03 बीघा में से कुल 2 गठ्ठा चौडा व 52 गठ्ठा लम्बा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ता, जिसे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:19:08 IST
Reason: SelfAttested